Rcms 2016/00142

मिसल नं0 22/2016 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम चतुर्भुज पुत्र विठ्ठदास जाति ब्रा0

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01-11-19 | पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व ( कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 ) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री चतुर्भुज आत्मज विठ्ठलदास जाति ब्रा0 निवासी उदपुरिया तहसील दीगोद को ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद की ख0 नं0 562/364, 563/364 रकबा 2.15,है, 0.25 है0 भूमि आवंटित हुई थी । उक्त भूमि पर आवंटी को दिनांक 18.10.75 को कब्जा सुपुर्द/दखल दिया गया था । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 07.04..2016 को प्रस्तुत किया है ।<br><br>तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट दिनांक 12.05.2016 से अवगत कराया कि अप्रार्थी का स्वर्गवास हो गया और पिता का नाम सही नही होने से तामील नही हो सकी सही नाम चतुर्भुज पुत्र मोतीलाल ब्रा0 है ।<br><br>तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के कायम मुकामान की सूची व आवंटी के पिता का सही नाम मंगवाने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक–रीडर/एडीएम/16/1571 दि0 23.06.2016, 2597 दि0 07.11.2016, 516 दि0 06.03.2017,1254 दि0 29.06.2017,1900 दि0 16.10.2017, 6 दि0 02.01.2018, 534 दि0 26.06.2018, 16 दि0. 04.01.2019, 693 दि0 23.07.2019 व 749 दि0 05.08.2019 से तहसीलदार दीगोद को लिखे जाने के उपरान्त भी तहसीलदार दीगोद द्वारा मृतक के पिता का सही नाम व मृतक के कायम मुकामान की सूची नही भिजवाई है । जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नही है ।अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी के वारिसान की जांच कर वारिसान के सही पते अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार दीगोद को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो ।<br><br>अति0 जिला कलक्टर<br>कोटा | |